कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी मालवा

उपखण्ड सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र) 461223, ई मेल: Email - sdmseonimalwa@gmail.com

क्रमांक/ **2135**/रीडर/अ.वि.द/अ./2026 सिवनी मालवा/दिनांक **05/08/2026**

:: आदेश ::

मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसील इकाई सिवनी मालवा द्वारा अपनी 05 सूत्रीय मांगों के निराकरण के संबंध में हड़ताल सूचना पत्र के माध्यम से आज दिनांक 05.08.2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने एवं बस्ते तहसील कार्यालय में जमा करने संबंधी सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त ज्ञापन एवं हड़ताल की सूचना के परिप्रेक्ष्य में यह आदेश प्रसारित किया जाता है।

वर्तमान में तहसील सिवनी मालवा क्षेत्र अंतर्गत शासन के अति-महत्वपूर्ण **मूंग उपार्जन** का कार्य प्रगति पर है, जिसके सुचारू संचालन हेतु उपखंड में लगभग 36 उपार्जन केंद्रों का निर्माण किया गया है। इन उपार्जन केंद्रों पर किसानों की भारी आवाजाही हो रही है तथा प्रत्येक केंद्र पर लगभग 100 से 200 एवं कतिपय केंद्रों पर 300 से अधिक ट्रॉलियों तक की भीड़ एकत्र हो रही है, जिससे केंद्रों पर लगातार कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु **कलेक्टर प्रतिनिधि एवं प्रशासनिक रूप से पटवारियों की ड्यूटी उपार्जन केंद्रों पर लगाई गई है, जो केंद्रों पर व्यवस्था हेतु सीधे उत्तरदायी हैं।** इसके साथ ही अपने-अपने हल्का क्षेत्र में भी कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित हल्का पटवारी की है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान में ई-टोकन व्यवस्था स्थगित होने के कारण ग्रामीण एवं निचले स्तर पर किसानों को खाद वितरण का कार्य भी पटवारियों के माध्यम से ही कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही अनुभाग पिपरिया में आगामी प्रसिद्ध नागद्वारी मेले के दृष्टिगत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे अनुविभाग सिवनी मालवा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर उसके नियंत्रण हेतु प्रशासनिक अधिकारियों का वर्तमान में अभाव है।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों, मूंग उपार्जन, खाद वितरण एवं कानून व्यवस्था जैसे अति-आवश्यक शासकीय कार्यों की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए, पटवारी संघ द्वारा प्रस्तुत हड़ताल संबंधी आवेदन/सूचना को एतद् द्वारा अमान्य किया जाता है।

तदानुसार सर्व-संबंधित पटवारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार की हड़ताल पर न जावे तथा उन्हें सौंपी गई समस्त दायित्वों/ड्यूटी का कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर निष्ठापूर्वक संपादन करना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी पटवारी सौंपे गए दायित्वों के दौरान अपने कार्यस्थल अथवा मौके पर अनुपस्थित पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Digitally signed by
VIJAY RAI
Date: 05-08-2026
20:45:24

अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
सिवनी मालवा

क्रमांक/ /रीडर/अ.वि.द/अ./2026 सिवनी मालवा/दिनांक **05 /08/2026**

प्रतिलिपि:-.

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षक भू संसाधन शाखा जिला नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार / नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील सिवनी मालवा/शिवपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अध्यक्ष/तहसील सचिव, मध्य प्रदेश पटवारी संघ, तहसील सिवनी मालवा को सूचना एवं सर्व-संबंधितों को अविलंब पालन हेतु प्रेषित।

उपरोक्तानुसार ई साइन

अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)

सिवनी मालवा